न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 183/2021

1. कलावतीदेवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी 25 केएनडी तहः खाजूवाला .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एल. आर.एक्ट

–ः निर्णय :– दिनांक :– 20.07.23

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीया की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया कलावतीदेवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल व उसके सहिस्सेदार के नाम से जरिये बैयनामा के खरीदशुदा भूमि वाके राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 25 केएनडी मु0नं0 152/20 के किला नं0 1 ता 10 व किला नं0 13 ता 18 व 23 ता 24 की 17.16 बीघा यानि 4.5016 हैक्टर क0/अ0क0 रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में प्रार्थीया के पिता का 1/2 हिस्सा रकबा बनता था। उपरोक्त खरीदरशुदा भूमि का नामान्तरण भरते समय प्रार्थीया का नाम कलावती देवी की जगह कलादेवी दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज में नाम कलावतीदेवी है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कला देवी की जगह कलावती देवी दुरुस्त करने निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया द्वारा वादपत्र के पक्ष में आधारकार्ड, परिचयपत्र, जमाबंदी व जनाधार कार्ड, नामान्तरण प्रतियां प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थीया का नाम कलावतीदेवी अंकित है। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीया का नाम कला देवी की जगह कलावतीदेवी उर्फ कला देवी दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चक 25 केएनडी मु0नं0 152/20 के किला नं0 1 ता 10 व किला नं0 13 ता 18 व 23 ता 24 की 17.16 बीघा यानि 4.5016 हैक्टर क0/अ0क0 रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम कलादेवी की जगह कलावतीदेवी उर्फ कला देवी दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।꜀ तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)